संख्या: 504 /XXVII (1)/2010

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांक: 13 :सितम्बर,2010

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार जिला टिहरी गढ़वाल की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किश्त कुल धनराशि **₹ 22111000.00 (दो करोड़ इक्कीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** को संलग्नानुसार अंकित धनराशि को निम्नलिखत शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2 (1)– संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत को देय धनराशि/प्रतिशत अंश द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के संस्तुतियों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3)– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम् 15 दिन में सम्बन्धित पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी।

(4) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का व्ययावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त बदलाव अनुमन्य होगा।

(5)– उपयोग प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार उत्तराखण्ड, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायत राज को भेजा जाएगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

3– इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–198–ग्राम पंचायतें–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

10/9/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त

संख्याः 504 (1) /XXVII (1)/2010,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
6– जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
9– खण्ड विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
10–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

10/9/10

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त

शासनादेश संख्याः– 504 :XXVII(1)/2010
दिनांकः: 13 :सितम्बर,2010 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल की ग्राम पंचायतों को देय समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रथम किश्त
1	2	3	4	5
1-	टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	178	7048
		चम्बा	99	1901
		देवप्रयाग	111	2290
		जाखणीधार	90	1513
		जौनपुर	124	3091
		कीर्तिनगर	82	1411
		नरेन्द्र नगर	111	1693
		प्रतापनगर	98	1652
		थौलधार	86	1512
		योगः–	979	**22111**

(दो करोड़ इक्कीस लाख ग्यारह हजार मात्र)

10/9/2010
(एल.एम. पन्त)
सचिव, वित्त।